न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी, शाहपुरा, जिला जयपुर (राजस्थान)

नाम पीठासीन अधिकारी:- श्री नरेन्द्र कुमार मीना
आर०ए०एस०

वाद संख्या:- 38/2018

उनवान

मुरलीधर आदि बनाम सीताराम वगैरह

दावा बाबत घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा

(प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश-7 नियम-11)
सहपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी

सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर)

दिनांक 19/9/2019

निर्णय

1. उपर्युक्त उनवानी संस्थित वाद में प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या-1 की ओर से जरिये अधिवक्ता श्री मदनलाल जाट एक प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-7 नियम-11 सहपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी का दिनांक 14/12/2018 को इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि आराजी मुतनाजा में प्रतिवादी संख्या-1 का 1/2 हिस्सा व शेष 1/2 हिस्सा वादीगण राधेश्याम वगैरह का है। उक्त भूमि संयुक्त खातेदारी में है जिसमें प्रत्येक इंच पर सह खातेदार का कब्जा होने की कानूनन अभिधारणा है/ वादीगण ने 1/2 हिस्से की भूमि पर प्रतिकूल कब्जा होने के आधार पर घोषणा खातेदारी का वाद कानूनी प्रावधानों के विपरीत दायर किया है, जो विधि द्वारा बाधित होने के कारण खारिज किये किये जाने योग्य है।

2. वादीगण द्वारा अपने उक्त वाद में कोई बंटवारा का अनुतोष नहीं चाहा गया है। वादग्रस्त आराजी संयुक्त खातेदारी में होने के ..2

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला--जयपुर) राज.

Scanned by CamScanner

कारण प्रतिवादी संख्या-1 सहखातेदार के विरुद्ध पोषणीय नहीं है और विधि द्वारा बाधित है, इस कारण भी उक्त वाद खारिज योग्य है।

3. वादपत्र में वर्णित तथ्यों से प्रतिवादी संख्या-1 के विरुद्ध कोई वाद कारण पैदा नहीं होता है तथा वादीगण द्वारा पूर्व में दायर राजस्व वाद व. उनवानी मुरलीधर वगैरह बनाम सीताराम आदि दावा बाबत घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा का न्यायालय उप. खण्ड अधिकारी शाहपुरा के निर्णय व डिक्री दिनांक 6/10/2006 द्वारा खारिज हो चुका है, उक्त निर्णय डिक्री के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में कोई अपील नहीं की गई है। प्रस्तुत वाद को न्यायालय हाजा को श्रवणाधिकार प्राप्त नहीं है, इस कारण भी उक्त दावा विधि से वर्जित होने के कारण चलने योग्य नहीं है, काबिले खारिज है।

4. अप्रार्थीगण/वादीगण की ओर से जरिये अभिभाषक श्री राकेश जवाब प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को गलत होना बताकर अस्वीकार करते हुए अभिकथन किया कि वादीगण ने उक्त विवादित आराजी के 1/2 हिस्से की भूमि को जरिये इकरारनामा दिनांक 12/6/1984 को ली है तथा तभी से अपनी उक्त खरीदशुदा भूमि पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 का उक्त आराजी मुतनाजा से कोई सम्बन्ध व वास्ता नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 1 का यह कथन कि वादीगण ने अपने वाद में बंटवारा का अनुतोष नहीं चाहा है, गलत अंकित किया है। अप्रार्थी/वादी ने अपनी 1/2 हिस्से की क्रय की गई भूमि के सम्बन्ध में घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद-पत्र प्रस्तुत किया गया है। जहां तक पूर्व वाद में पारित निर्णय दिनांक 6/10/2006 का प्रश्न है, उक्त निर्णय में मात्र यह अंकित किया था कि इकरारनामा के आधार पर विशिष्ट अनुतोष अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही सम्भव है तथा इसके लिए क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होकर सक्षम सिविल न्यायालय को है। अब प्रतिवादी द्वारा भेजे गये 5-7 व्यक्तियों द्वारा वादीगण की खरीदशुदा भूमि पर जबरन घुसने व धमकी देने के कारण वादी को वाद कारण उत्पन्न हुआ है। प्रतिवादी संख्या-1 की ओर से बदनियति पूर्वक उक्त प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है, जो सरसरी रूप से खारिज किये जाने योग्य है।

5. जवाब प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर बहस वकुलाये फरीकेन सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या-1 ने अपनी बहस

--(3)

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

में अपने प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों का वर्णन करते हुए बताया कि दुकानें, जमाबन्दी वादी व प्रतिवादी संख्या-1 का चरिंदा खाता खसरा 1124 1/2 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। पूर्व में सन् 2006 में न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी में दावा खारिज हो चुका है। एग्रीमेन्ट केस का दावा सिविल कोर्ट में खारिज हो चुका है। धारा 144 के प्रार्थना-पत्र में रिकार्ड पेश किया गया है। सहखातेदार के विरुद्ध एडवर्स पजेशन का दावा नहीं चल सकता। इस्तगासा वाद में वाद कारण की पैदा नहीं हुआ है। विभाजन का दावा लाना चाहिए था। सन् 1984 में एग्रीमेन्ट-टू-सेल है, जिसमें दावा खारिज हो चुके हैं। वादीगण का दावा विधि से वर्जित है, जो अस्वीकार कर खारिज करवाया जावे।

6. इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण/वादीगण का तर्क है कि रेसज्यूडिकेटा शब्द का उपयोग प्रार्थना-पत्र में गलत किया गया है। 1984 में एक एग्रीमेन्ट द्वारा बेचान कर कब्जा करवा दिया था, जो आज भी मौके पर मौजूद है। पूर्व में जो दावा खारिज हुआ वह प्रार्थी को नोटिस नहीं दिया गया। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अपने कथन के समर्थन में आर०आर०डी० 2016(2) 1360, आर०आर०डी० 2017(3) पेज 946, आर०आर०डी० 2013(2) पेज 1110 आर०आर०डी० 2003(2) पेज 1162, आर०आर०डी० 2016(1) 53, आर०आर०डी० 2009(2) पेज 325, आर०आर०डी० 2009(2) पेज 662 व आर०आर०डी० 2010(1) पेज 89 न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

7. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली के तथ्यों व प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया।

8. यह स्पष्ट है कि आदेश-7 नियम-11 सी०पी०सी० के तहत दावा निम्न चार कारणों से ही खारिज किया जा सकता है। प्रथम- जहां दावा में वाद कारण प्रकट नहीं किया गया हो, द्वितीय- जहां चाहा गया अनुतोष के अनुसार दावे की मालियत नहीं लगाई गई हो एवं न्यायालय के द्वारा समय दिये जाने पर भी दुरुस्त नहीं किया गया हो, तृतीय- दावे पर पर्याप्त स्टाम्प नहीं लगाये गये हों एवं समय दिया जाने पर भी दुरुस्त नहीं किया गया हो तथा चतुर्थ- दावा कानून से बाधित हो। इस्तगासा वाद में प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या-1 की ओर से अपने प्रार्थना-पत्र में मूल आपत्ति

..4

सहायक कलेक्टर
झुंझुनूं (जिला-झुंझुनूं) राज.

Scanned by CamScanner

3/8/2018

प्रथम व चतुर्थ बिन्दु में वर्णित कारणों से दावा पोषणीय नहीं होना जाहिर करते हुए दावा खारिज किये जाने की इस्तदुआ की है। मूल रूप से वादीगण के द्वारा आराजी मुतनाजा के सम्बन्ध में घोषणा व निषेधाज्ञा का इकरारनामा के आधार पर एवं एकतर्फा कब्जे के आधार पर प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के विरुद्ध उक्त दावा पेश किया गया है। आदेश-7 नियम-11 सी०पी०सी० में स्पष्ट प्रावधान है कि वादपत्र को पढ़ने मात्र से ही यह परिलक्षित होना चाहिए कि वाद किस विधि से वर्जित है अथवा कोई वाद हेतुक प्रकट नहीं किया है। प्रश्नगत वाद में वादीगण ने सहखातेदार प्रतिवादी संख्या-1 से इकरारनामा से क्रय की गई उनके 1/2 हिस्से की खातेदारी मुश्तरकाना कब्जा काश्त के आधार पर स्वयं का खातेदारी अधिकारों का विनिश्चय चाहा है। लेकिन विधिक स्थिति यह है कि सहखातेदारी की भूमि पर यदि किसी एक सहखातेदार का कब्जा भी हो तो भी अन्य सहखातेदारों का कब्जा माना जायेगा और सहखातेदारी की भूमि पर एडवर्स पजेशन का सिद्धान्त लागू नहीं होता है। जहां तक प्रार्थी पक्ष के इस कथन का प्रश्न है कि आराजी मुतनाजा को इकरारनामा दिनांक 1/8/1984 से क्रय करने के समय से ही वे खरीद की गई भूमि पर निर्विवाद रूप से काबिज काश्त है एवं तन्हा रूप से प्रतिवादीगण की जानकारी में शांतिपूर्वक उपयोग व उपभोग करते आ रहे हैं, अपने उक्त कथनों एवं अपने मौखिक कब्जे काश्त तथ्यों की पुष्टि में कोई दस्तावेजी रिकार्ड शाहदत बावजूद पेश नहीं की है। विधि प्रावधानों के अनुसरण में केवल खातेदार कृषक धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत अनुतोष पाने का अधिकारी है। इकरारनामा धारी व्यक्ति धारा 188 के अन्तर्गत अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है - व्यथित व्यक्ति इकरारनामा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए सिविल वाद पेश कर सकता है। स्वयं प्रार्थीगण/वादीगण ने अपने जवाब प्रार्थना-पत्र में यह स्वीकार किया है कि प्रश्नगत आराजी मुतनाजा से सम्बन्धित प्रस्तुत पूर्व वाद में न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 8/10/2006 में मात्र यह अंकित किया गया था कि इकरारनामा के आधार पर विशिष्ट अनुतोष अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही ही सम्भव है तथा इसके लिए क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होकर सक्षम सिविल न्यायालय को ही है। इस प्रकार स्वयं प्रार्थीगण/वादी के अभिवचनों में की गई स्वीकारोक्ति से स्पष्ट जाहिर है कि आराजी मुतनाजा से सम्बन्धी वाद इस न्या...

--(5)

38/2018

क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर खारिज हो चुका है और अब पुनः घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु उक्त वाद प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्राधिकारिता के कानूनी बिन्दु एवं रेसज्यूडिकेटा के सिद्धान्तों कानूनी प्रावधानों से बाधित होना प्रकट होता है।

9. प्रश्नगत प्रकरण में प्रार्थी/वादी की ओर से इकरारनामा के विनिर्दिष्ट पालना के लिए प्रस्तुत सिविल वाद भी अन्य सिविल न्यायालयों से खारिज हो चुके हैं। इसके बावजूद भी क्या वाद कारण उत्पन्न हुआ और यह नया वाद पुनः प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ, इस सम्बन्ध में भी वादपत्र में कोई वस्तुस्थिति स्पष्ट नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी/वादी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा उद्धृत न्यायिक सिद्धान्तों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के तथ्य प्रश्नगत प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने के कारण चस्पा नहीं होते हैं।

10 उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन से विदित होता है कि हस्तगत वादपत्र के पढ़ने मात्र से ही यह परिलक्षित होता है कि उक्त वाद न्यायालय द्वारा की क्षेत्राधिकारिता एवं रेसज्यूडिकेटा के सिद्धान्तों के विधि प्रावधानों से वर्जित है तथा विनाये दावा पैदा होने के सम्बन्ध में भी कोई वस्तुस्थिति स्पष्ट नहीं है, इसलिए दावा पोषणीय नहीं है।

11. फलतः प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या-1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश-7 नियम 11 सहपठित धारा 151 सी०पी०सी० का स्वीकार किया जाकर वादीगण का वादपत्र बाबत घोषणा, स्थाई व स्थाई निषेधाज्ञा का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

12. निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 19-9-2019 को खुले इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

Scanned by CamScanner